आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0
आयुर्वेद भवन, 32 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ 226001

दूरभाष
कार्यालय :–0522 3170661

वेबसाइट:–www.bimup.org
ई मेल– bim.upup @gmail.com

पत्रांक 963 /बोर्ड – सा0प्रशा0 मान्यता (25–26) /25 (9) लखनऊ दिनांक 1-5-2025

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव
कृष्णा आयुर्वेदिक कालेज एण्ड हास्पिटल
ग्राम–कमलापुर पो0–छुटमलपुर जिला–सहारनपुर (संस्था कोड नं0 091)

विषयः– **आयुर्वेदिक उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम हेतु संस्था को मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय

आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 की संकाय की बैठक दिनांक 25 अप्रैल 2025 में की गई सिफारिश के आधार पर बोर्ड की वैठक दिनांक 25 अप्रैल 2025 को प्रदान की गई स्वीकृति के अनुपालन में आपके प्रशिक्षण केन्द्र को सत्र 2025–26 से अग्रिम आदेशों तक के लिए आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की 50 सीटों एवं आयुर्वेदिक उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की 30 सीटों हेतु मान्यता/सम्बद्धता निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है :–

01– बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप, अर्हता एवं शर्तो के अधीन संस्था प्रवेश स्वयं करेगी ।

02– प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक प्रवेश लिये जा सकेगें । दिनांक 05 अक्टूबर, 2025 में प्रत्येक दशा में संस्था द्वारा अपनी प्रवेश सूची मय प्रपत्रों सहित बोर्ड कार्यालय को प्रेषित की जायेगी । संकाय द्वारा प्रवेश सूची का परीक्षण करने के उपरान्त छात्रों को इनरोलमेण्ट नं0 निर्गत किया जायेगा । तथा ऐसे ही छात्र बोर्ड की परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगे । यदि कोई संस्था उपरोक्त तिथि तक प्रविष्ट छात्रों की सूची जमा नही करती है तो उस संस्था का सत्र शून्य माना जायेगा ।

03– बोर्ड द्वारा किसी भी समय संस्था का आकस्मिक निरीक्षण कराया जा सकता है । पठन –पाठन एवं अनुशासनिक प्रबन्धों की समीक्षा की जायेगी । त्रुटि पाये जाने पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है ।

04– आपके प्रशिक्षण केन्द्र को बोर्ड द्वारा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशो/निर्देशों का पालन करना होगा ।

05– बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट प्रशिक्षण पाठयकम का शिक्षण शुल्क रू0 42,240–00 एवं उपचारिका का प्रशिक्षण शुल्क रू0 36,000–00 प्रतिवर्ष निर्धारित है उक्त निर्धारित फीस की धनराशि संस्था छात्र/छात्राओं से लेगी ।

06– बोर्ड द्वारा आयुर्वेदिक फार्मेसिस्ट एवं यूनानी फार्मेसिस्ट /उपचारिका प्रशिक्षण पाठ्यकम हेतु निर्धारित अन्य शुल्क का विवरण निम्नवत है :–

प्रशिक्षण अवधि के लिए

मैगजीन	रू0 200–00
एडमीशन	रू0 2000–00
आईडेन्टीटी कार्ड	रू0 200–00
एनुवल फंक्शन	रू0 1000–00
काशन मनी	
कालेज	रू0 2000–00 (रिफण्डेबुल)
हास्टल	रू0 2000–00 (रिफण्डेबुल)

07– सत्र 2025–26 की सम्बद्वता शुल्क रू0 25,000–00 (प्रति पाठयकम)का बैंक ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 05–10–2025 तक जमा करना अनिवार्य है ।

08– यह मान्यता आप द्वारा पैनल सदस्यों को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों,शपथ पत्र एवं उक्त आधार पर पैनल सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश पर बोर्ड द्वारा दी जा रही है । यदि बोर्ड को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छदम प्रपत्रों, संशाधनों का सहारा लिया गया है, तो नियमानुसार मान्यता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(डा0 अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार